न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर जिला–उदयपुर (राज.)

बजरिये श्री सुरेन्द्र बी पाटीदार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या–49/2014 प्रा.प.

1. श्री भेरा पिता पुंजाजी डांगी उम्र बालिग निवासी सियाल कोटड़ा हाल मुकाम सेदडी पुरानी तहसील सलूम्बर हाल तहसील झल्लारा जिला उदयपुर (राज.)।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती इन्द्राकुमारी पुत्री उकारलाल जी कायस्त उम्र बालिग निवासी सलूम्बर तह सलूम्बर जिला उदयपुर (राज.)।
2. राज्य सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब, पुरानी तहसील सलुम्बर हाल तहसील झल्लारा जिला उदयपुर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– श्री राकेश प्रजापत – अधिवक्ता प्रार्थी
विपक्षी सं. 1 – एक पक्षीय
विपक्षी सं. 2 – पैरोकार सरकार तहसीलदार हाल तह. झल्लारा

–::निर्णय::–

दिनांकः 31–07–2023

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी की मौजा हर पटवार मण्डल बनोडा में कृषी भूमी हैं जो वर्तमान में प्रार्थी के नाम पर राजस्व खाते में दर्ज हैं जिसके साबिक आ.नं. 14/30 रकबा 5 बीघा कृषी भूमी हैं जिसका हाल आराजी नं 287 रकबा 0.67 हेक्टर वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में अंकित है । प्रार्थी भेरा पिता पुजा होकर संवत 2038 से 2041 की राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज होकर मौके पर आज दिनांक तक प्रार्थी कृषि कार्य चला आ रहा है एवं प्रार्थी द्वारा भारी लागत व मेहनत से उक्त भूमी को उपजाउ कृषि भूमी बनाया है एवं वर्ष की दोनो फसले प्रार्थी व उसके परिवार द्वारा ली जाती रही है। यह कि पैमाईश के समय प्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि को राजस्व अधिकारी व विपक्षी संख्या 1 एक के द्वारा मिली भगत कर वर्तमान में उक्त कृषि भूमि का रकबा घटाकर केवल मात्र 0.67 हैक्टेयर दर्ज कर दिया है। प्रार्थी का पुराने रकबे के हिसाब से 1.08 हैक्टेयर बनना चाहिये था परन्तु सेटलमेन्ट वालो ने प्रार्थी का रकबा घटाकर मात्र 0.67 हैक्टेयर दर्ज कर दिया है, इस प्रकार से करीबन 0.41 हैक्टेयर प्रार्थी के खाते में कम दर्ज कर उक्त रकबा सहवन से पास के ही अन्य खातेदार विपक्षी सं. 1 एक इन्द्राकुमारी पुत्री उँकारलालजी कायस्त निवासी सलुम्बर की स्थित आराजी नं. 288 में सम्मिलित कर उसका रकबा बढा दिया गया है जबकि प्रार्थी का पुरी 5 बीघा भूमि जो कि वर्तमान में 1.08 हैक्टेयर भूमि पर आधिपत्य एवं स्वामित्व है एवं कृषि कार्य करता चला आ रहा है। अतः प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.ले.रे. अधिनियम के तहत इन्द्राज दुरस्ती का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के

सहायक कलेक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर

नाम आ.न. 287 रकबा 0.67 हेक्टर के बजाय रकबा 1.08 हेक्टर भूमी राजस्व रेकार्ड व नक्शे अमल दरामद व इन्द्राज दुरस्ती कर दर्ज कराने का आदेश फरमावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया। आदेशिका दिनांक 28–06–2022 को बावजूद सूचना के गैर हाजिर रहने से विपक्षी सं. 1 एक के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। विपक्षी सं. 2 दो पैरोकार सरकार तहसीलदार सलुम्बर ने जवाब मय रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि–

1. यह सही है कि वादी के मौजा हर पटवार मण्डल बनोडा में कृषि भूमि है। मौजा हर प.म. बनोडा की जमावन्दी सम्वत् 2038–41 की खाता सं. 56 पर खसरा सं. $\frac{14}{30}$} रकबा 5 पांच बीघा श्री भेरा पिता पूंजा डांगी सा. सियाल कोटडा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। हाल के भू–प्रबन्ध पश्चात हाल आराजी नं. 287 रकबा 0.6700 हैक्टेयर वादी श्री भेरा पिता पूजां डांगी सा. सियाल कोटडा खातेदार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर शाखा सलुम्बर जमावन्दी सम्वत् 2067–70 की खाता सं. 103 पर दर्ज रेकार्ड है।
2. यह कि वादी श्री भेरा पिता पूंजा डांगी के नाम जमाबन्दी संम्वत् 2038–41 की खाता सं. 103 पर आराजी किता 1 रकबा 5 पांच बीघा दर्ज होकर उक्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है।
3. यह सही है कि वादी की खातेदारी भूमि जमावन्दी सम्वत् 2038–41 की खसरा सं. $\frac{14}{30}$} रकबा 5 बीघा से हाल भू–प्रबन्ध पश्चात् बने नया खसरा संख्या 267 रकबा 0.6700 हेक्टर दर्ज हुआ है। पुराने रकबे 5 बीघा से 1.0800 हेक्टयर बनता है तुलनात्मक रुप से 0.4100 हेक्टयर कम दर्ज हुआ है। मौका जांच अनुसार वादी के खसरा संख्या 287 रकबा 0.6700 हेक्टयर एवं खसरा संख्या 288 रकबा 0.7100 में से 0.4100 हेक्टयर कुल 1.08 हेक्टयर भूमि पर कब्जा होना जाहिर हुआ है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा 287 रकबा 0.6700 हेक्टयर व खसरा संख्या 288 रकबा 0.7100 हेक्टयर दोनों आराजीयात साबीक खसरा संख्या $\frac{14}{30}$} से बने है।

जांच रिपोर्ट मौका पर्चा एवं राजस्व रेकार्ड अनुसार वादी श्री भेरा पिता पूंजा डांगी निवासी सियाल कोटडा के नाम ग्राम हर पं.स. बनोडा की जमाबन्दी संख्या 2038–41 की खाता संख्या 56 पर दर्ज खसरा संख्या $\frac{14}{30}$} रकबा 5 बीघा के मुकाबले नवीन भू–प्रबन्ध में वादी के नाम खसरा संख्या 287 रकबा 0.6700 हेक्टयर भूमि दर्ज हुई है। पूर्व के मुकाबले पैमाईश पश्चात् 0.4100 हेक्टयर कम दर्ज हुई है। जबकि वादी श्री भेरा पिता पूंजा के आराजी नम्बर 287 रकबा 0.6700 हेक्टयर व आराजी नम्बर 288 रकबा 0.7100 हेक्टयर मे से 0.4100 हेक्टयर कुल 5 पांच बीघा भूमि 1.08 हेक्टयर पर कब्जा होना पाया गया है। अतः तदनुसार दुरस्ती किया जाना उचित है।

पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का विस्तृत अवलोकन किया गया, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमांबदी संवत् 2038 से 2041 खाता 56 साबिक आराजी नम्बर $\frac{14}{30}$} रकबा 5 बीघा श्री भेरा पिता पुंजा डांगी के नाम दर्ज होना प्रकट आया। उक्त के हाल आ.सं. मिलान क्षैत्रफल अनुसार 287 रकबा 0.6700 हैक्टेयर श्री भेरा पिता पुंजा डांगी जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 की खाता सं. 103 पर दर्ज रेकार्ड है। तहसीलदार झल्लारा द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं विस्तृत मौका रिपोर्ट में अंकित कि पूर्व के मुकाबले पैमाईश पश्चात् 0.4100 हेक्टयर कम दर्ज हुई है। जबकि वादी श्री भेरा पिता

सहायक कलेक्टर सलुम्बर
जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलुम्बर जिला –उदयपुर

प्रकरण संख्या–49 / 2014

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर.एक्ट

पूंजा के आराजी नम्बर 287 रकबा 0.6700 हेक्टयर व आराजी नम्बर 288 रकबा 0.7100 हेक्टयर मे से 0.4100 हेक्टयर कुल 5 पांच बीघा भूमि 1.08 हेक्टयर पर कब्जा होना पाया गया है। अतः तद्नुसार दुरस्ती किया जाना उचित रहेगा।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार झल्लारा को आदेश दिया जाता है कि मौजा हर पटवार हल्का बनोड़ा की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 मे विपक्षी सं. 1 एक की आराजी नम्बर 288 रकबा 0.7100 हैक्टेयर मेसे अधिक रकबा 0.4100 हैक्टेयर कम करते हुये प्रार्थी के खाते 0.4100 हैक्टेयर दर्ज कर नक्शा ट्रेस व जमाबंदी में शुद्धि कर पैमुद किया जाकर तद्नुसार अमल दरामद करावें।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(सुरेन्द्र बी पाटीदार, RAS)
उपखण्ड अधिकारी, सलुम्बर
जिला–उदयपुर